वर्तमान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता : समस्याएं और संभावनाए

डॉ0 आसिफ कमाल,

एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग (बी.एड्.)
शिब्ली नेशनल पी0जी0 कालेज, आजमगढ़

किसी भी प्रणाली की उपयोगिता काफी हद तक उसकी गुणवत्ता पर निर्भर रहती है। उच्च शिक्षा भी एक प्रणाली है। आज भूमंडलीकरण के युग में जब सारे विश्व में गुणवत्ता को बेहतर बनाने की होड़ लगी है, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कदम उठाएँ। आज उपभोक्ता और लाभार्थी दोनों ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए इस प्रणाली में वांछित परिवर्तन लाना आवश्यक है, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीड बैक में बदलाव जरूरी है। उच्च शिक्षा के विभिन्न इनपुट हैं–छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम, आधारभूत सुविधाएँ आदि। इस शोध–पत्र में उच्च शिक्षा में आयी गुणवत्ता में कमियों पर प्रकाश डालते हुए उसके कारणों की पड़ताल की गयी है और उसे दूर करने के उपाय सुझाए गये हैं।

भारत में उच्च शिक्षा के स्तर के दो छोर दिखाई पड़ते हैं एक तरफ तो आई.आईटीज और आई.आई. एम्स हैं, जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता विश्वस्तरीय है। अहमदाबाद का आई.आई. एम. दुनिया के कुछ सबसे अच्छे शिक्षण संस्थानों में से एक है, और दूसरी ओर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जहाँ की गुणवत्ता की रेटिंग बहुत नीचे है। अधोसंरचना के नाम पर कुछ भी नहीं हैं, विद्यार्थी मेले की तरह भरे हुए है, लाइब्रेरी ही नहीं है, इन्टरनेट की क्या बात करें ? पढ़ाने वाले नहीं है और हैं तो कम स्तरीय। भारत के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में यही स्थिति है। अब सवाल इस बात का है कि आज भूमण्डलीकरण के दौर में ये संस्थान किस प्रकार अपना अस्तित्व बचा कर रख सकेंगे और यहाँ से निकले डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों का समाज किस प्रकार उपयोग कर सकेगा। एक तरफ जहाँ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की संख्या सीमित है और प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा की जाती है, वहीं पर अधिकांश संस्थान ऐसे हैं जहाँ न तो प्रवेश संख्या निश्चत है और न ही उनके लिए किसी प्रकार का मापदण्ड है। यही हमारी गुणवत्ता के लिए समस्या का कारण बनता है। और यही आज हमारी चिंता का विषय है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें अधोसंरचना पूर्ण करनी आवश्यक है इसके लिए भवन, फर्नीचर, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, इन्टरनेट आदि को हमें स्तरीय बनाना होगा। अधिकांश महाविद्यालय चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में उनमें यह अधोरचना पूर्ण नहीं है और हमारी गुणवत्ता को निम्न कोटि का बनाती है। अधोरचना के बाद अध्यापक की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। देखने में आया है कि प्राध्यापकों की नियुक्ति में भाई–भतीजावाद बहुत ज्यादा है। भारत में आमतौर पर नियुक्ति के लिए वे तमाम रास्ते उपलब्ध हैं जिससे कम योग्य व्यक्ति प्राध्यापक बन जाता है। इसके लिए भर्ती आयोग बन जाये जो लोक सेवा आयोग की तर्ज पर निष्पक्ष हो जिससे धूर्तो को प्राध्यापक बनने से रोका जा सके क्योंकि ये यदि एक बार अन्दर आ जाते हैं तो 30–40 वर्षो के लिए अपने विषय में पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देते है। देखने में आया है कि अपने संबंधियों को प्राध्यापक बनाने के चलते देश की प्रायः सभी राज्यों में तदर्थ नियुक्तियों का चयन है। वेतन के समय हम आई.ए.एस. अधिकारियों की बराबरी करते है क्या कोई आई.ए.एस अधिकारी तदर्थ नियुक्त होता है ? आई.ए.एस. की तो छोड़ दीजिए कोई नायब तहसीलदार और सब इंसपेक्टर भी तदर्थ नियुक्ति नहीं होता। इस संबंध में यू.जी.सी. की भूमिका बहुत निदंनीय है। पहले उसने प्राध्यापक बनने के लिए नेट परीक्षा को अनिवार्य बनाया लेकिन इस बात की छूट दे दी कि निर्धारित समय में जो व्यक्ति पी–एच.डी. कर लेगा उसे उस परीक्षा से छूट मिल जायेगी। यह छूट किसी न किसी रूप में अभी तक जारी है। आखिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्णधारों ने ऐसा क्यों किया ? स्पष्ट है इसमें उनका किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ था। इससे तुरन्त पी–एस.डी. शोध प्रबंध लिखे गये और निर्धारित अवधि में जमा कराये गये। सब का छोड़कर लोगों ने डाक्ट्रेट करना शुरू किया और दो तीन महीने में शोध–प्रबन्ध जमा कर दिया। इसे ''सीवियर एक्यूट डॉक्टोरल सिड्रॉम'' कहा गया। एक–एक परीक्षक ने एक साथ दस–दस थीसिस एक ही विश्वविद्यालय की जाँची और मौखिकी परीक्षा ली। प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति अपने विषय की समग्र ज्ञान की निर्धारित परीक्षा ही नहीं पास करता हो वह एकाएक पी–एच.डी. करने में कैसे सक्षम हो गया? इन बातों को यू.जी.सी. के मार्गदर्शन में धरा गया जिस पर इस देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का दारोमदार है। सवाल इस बात का है कि इस प्रकार की डिग्री का आज के शैक्षणिक वैश्वीकरण के युग में क्या उपयोग है ?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा शिक्षक संघ इसमें कुछ बुरा नहीं मानता और वह यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके सदस्यों में गुणवत्ता की कोई कमी है ? शिक्षक संघों की भूमिका इस संबंध में बहुत ही निदंनीय है। वह सिर्फ स्वायत्तता और ज्यादा वेतन की बात करता है। स्यावत्तता किसकी और किसके लिए ? विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता चाहते है, कालेजों की नहीं, कुलपति अपनी चाहते हैं, संकाय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की नहीं,

विभागाध्यक्ष अपनी स्वायत्तता चाहता है, अध्यापकों नहीं। आखिर कैसे हम उच्च शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें जब योग्य प्राध्यापक ही नहीं है।

प्राध्यापकों के साथ–साथ विद्यार्थियों की गुणवत्ता का प्रश्न इस भूमण्डलीकरण के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रवेश के समय अयोग्य विद्यार्थी आ गया हो उससे गुणवत्ता कायम नहीं की जा सकेगी। आज इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फीस बटोरने के नाम पर सबको घर–घर से बुलाकर प्रवेश दिया जा रहा है जिससे मैनेजमेन्ट का लाभ हो सके। यह न सिर्फ निजी क्षेत्र में बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है। विद्यार्थियों की तादात ज्यादा है तब जाहिर है व्याख्यान का असर उन पर नहीं हो सकेगा और यह गुणवत्ता का अतंतः गिरायेगा ही। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा केवल सुपात्रों के लिए ही हो और प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा इस पर रोक लगायी जाय। इस प्रकार से तो उच्च शिक्षा हास्यास्पद हो गयी है और यह रस्म अदायगी जैसी ही है। गुणवत्ता बनाने के लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना होगा। न सिर्फ छात्रों की उपस्थिति बल्कि अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष भर के कार्य दिवस जो निश्चित है, उन दिनों में अध्यापन हो, यह सुनिश्चित किया जाय, अगर किस कारण से व्यावधान है तो अतिरिक्त कक्षाएं ली जाये।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अध्यापक की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

भारत में आमतौर पर नियुक्ति के लिए वे तमाम रास्ते उपलब्ध हैं जिससे कम योग्य व्यक्ति प्राध्यापक बन जाता है। इसके लिए भर्ती आयोग बन जाये जो लोक सेवा आयोग की तर्ज पर निष्पक्ष हो जिससे धूर्तो को प्राध्यापक बनने से रोका जा सके क्योंकि ये यदि एक बार अन्दर आ जाते हैं तो 30–40 वर्षो के लिए अपने विषय में पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देते है।

यह एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है कि उच्च शिक्षा कैसे जीवनोपयोग, जनोपयोगी तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सके, तभी राष्ट्र निर्माण के लिए महान लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। इसके लिए प्राध्यापको के सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। चूँकि सूचना और तकनीक के क्षेत्र में नित्य नई खोजें सामने आ रहीं हैं, इसलिए प्राध्यापकों के ज्ञान की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित अन्तराल के बाद प्राध्यापक को प्रशिक्षित किया जाय। इससे अपने क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ सके और पूरी कुशलता के अपना कार्य कर सके।

अध्यापकों के लगातार व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है लेकिन इसमें कुछ दिक्कते हैं जैसे–

1. प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या कम है।

2. आधारभूत ढांचे से सम्बन्धित सुविधाएँ सीमित हैं।
3. प्रशिक्षणकर्ताओं की संख्या ज्यादा है।
4. वित्तीय खर्च भी अधिक है।

बहरहाल इसी कम संसाधनों में भी सतत् प्रशिक्षण जारी रखा जाना चाहिए। इस सारी कोशिशों के बाद गुणवत्ता का स्तर वह नहीं है जिसकी अपेक्षा इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में की जाती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन और निगरानी की कमी है। सूचना टेक्नोलॉजी प्रणाली की समग्र गुणवत्ता बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अद्यतन बनाया जा सकता है। दुनियाभर के विशेषज्ञों से राय ली जा सकती है। ऑडियो और वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से अध्यापकों और विद्यार्थियों का चयन बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एन.ए.ए.सी. (नैक) का गठन किया है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता प्रबंधन है। नेक की समिति विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जाकर पड़ताल करती है और ग्रेडिंग करती है, लेकिन ग्रेड देने के बारे में उस पर गंभीर आरोप लगाये गये है। समिति के सदस्यों की भर्ती आदि को लेकर प्रश्न उठाये गये हैं और पक्षपात पूर्ण निर्णय की शिकायतें की गयी है। इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपनी बेबसाइट पर सूचनाएँ अद्यतन करें और नैक टीम अचानक इन सूचनाओं की सत्यता की जाँच करें।

उच्च कोटि का मौलिक अनुसंधान गुणवत्ता की आवश्यक शर्त है। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में अनुसंधान के लिए बहुत कम सहायता मिल रही है। सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनुसंधान क्षमता बढ़ाना होगा। भारत का कोई शोधकर्ता अन्य देश के किसी शोधकर्ता के साथ अनुसंधान सहयोग कर सकता है। जब कई प्रकार की सूचनाएं एक साथ मिलेंगी तब शोध के निष्कर्षो की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उसकी स्वीकार्यता में भी वृद्धि होगी।

जनसंख्या वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय या कॉलेज उन सब लोगों को प्रवेश देने में सक्षम नहीं है जिनके पास न्यूनतम योग्यता है। इस समस्या से निपटने के लिए इन्टरनेट पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है। इसी को बर्चुअल यूनीवर्सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रवेश की सबसे बड़ी जरूरत है इंटरनेट सुविधा। इससे भी उच्च शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। चीन ने इस दिशा में अच्छा काम किया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापनकार्य आम तौर पर सूचनाएँ देने तक सीमित रहता है। लेकिन यह उच्च शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य नहीं है, सूचनाएँ देने के साथ–साथ उच्च शिक्षा के अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. तर्क और विचार क्षमता का विकास।
2. परखने और निर्णय करने की क्षमता का विकास।
3. आत्मनिरीक्षण और मूल्य बोध का विकास।
4. अध्ययन की सही आदत का विकास।
5. सहनशीलता, जोखिम उठाने की क्षमता।
6. वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास।

उच्च शिक्षा के उपलब्ध बुनियादी ढांचे, कक्षा के आकार, अध्यापकों की उपलब्धता उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को देखते हुए उच्च शिक्षा के तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल है। यही नहीं अधिकतर अध्यापक व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं जिसमें ऊपर बताए गये लक्ष्यों में से अधिकतर को पूरा करने की क्षमता नहीं है। ये लक्ष्य बहुआयामी है, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों को समन्वित रूप से इस्तेमाल में लाना जरूरी है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज के दौर में भारत की शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कुछ ठोस उपायों की आवश्यकता है–

1. समस्त शैक्षिणक संस्थाओं की अधोरचना की जाँच के बगैर उनको मान्यता न दी जाये।
2. उच्च शिक्षा संस्थाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इस समिति में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ भूतपूर्व विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं बुद्धिजीवी वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व हों।
3. प्राध्यापकों की नियुक्ति निष्पक्ष हो, चयन आयोग निष्पक्ष ढंग से काम करें।
4. योग्यता के प्रश्न पर कोई समझौता न हो। यह व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर हो और चयन भी उसी तरीके से किया जाये।
5. छात्रों की प्रवेश संख्या समिति हो, इस कदम के तत्काल उठाये जाने की आवश्यकता है।
6. वर्ष में कार्य दिवस और रोज के तय काम घंटे में अध्यापन सुनिश्चित किया जाय।

हॉलांकि इस दिशा में यू.पी.सी. ने सार्थक कदम उठाये हैं लेकिन प्राध्यापक वर्ग इसके पालन से कतरा रहा है। इसलिए अब इसमें कठोर कदम की आवश्यकता है।

7. कार्य की गुणवत्ता की सतत् निगरानी की जाय। इसके लिए समय देकर नहीं बल्कि अचानक निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।
8. उच्च शिक्षा संस्थानों को रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जाये।
9. प्रध्यापकों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। इसके लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों को और साधन सम्पन्न बनाये जाने की जरूरत है।

10. नकल रोकने की समुचित व्यवस्था की जाये। इसमें नकल को संज्ञेय अपराध बनाये जाने की जरूरत है। कल्याण सिंह सरकार ने जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की थी तब नकल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था।

अगर ये कुछ उपाय कर लिए जाये तब हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बना सकते हैं और इस पर आये हुए खतरे को टाल सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

1. गोविल, प्रबोध कुमार, शिक्षा जगत की नई बीमारी, दैनिक भास्कर, जबलपुर।
2. झुनझुनवाला, भरत, उच्च शिक्षा के नाम पर लूट–खसोट, दैनिक जागरण, लखनऊ।
3. झुनझुनवाला, भरत, प्राध्यापको की खोखली मांग, दैनिक जागरण, लखनऊ।
4. शर्मा, डॉ, देवर्षि, उच्च शिक्षा का हास्यापद स्तर, दैनिक जागरण, लखनऊ।
5. शर्मा, डॉ देवर्षि, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता का संकट, दैनिक जागरण , लखनऊ।
6. शर्मा, डॉ देवर्षि, उच्च शिक्षा गुणवत्ता का संकट, दैनिक जागरण, लखनऊ।
7. श्रोजगार समाचार, दिल्ली।
8. अय्यर, पल्लवी, एक्सीलेन्स इन एजुकेशन : दि चाइनीज बे, दि हिन्दू, दिल्ली।
9. रोजगार समाचार, दिल्ली।